न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 34 / 2024
अनवान : –

1. मुबारिक हुसैन पुत्र गफूरखां जाति कायमखानी साकिन नोहर तहसील नोहर।
2. सुरेश खान पुत्र गफूरखां जाति कायमखानी साकिन नोहर तहसील नोहर।

–वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 07/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता स0 13 / 13 की 3.6040 हैक्ट भूमि में वादीगण सहखातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में वादीगण का नाम क्रमशः रूशतम पुत्र गफूरखां व रमजान पुत्र गफूरखा दर्ज है जबकि वादीगण के समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र में वादीगण का नाम क्रमशः मुबारिक हुसैन पुत्र गफूरखां व सुरेश खान पुत्र गफूरखां है। राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम गलत दर्ज होने से वादीगण के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है एवं वादीगण अपनी खातेदारी का सही उपयोग व उपभोग नही कर पा रहे है। अतः राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम मुताबिक दस्तावेजात मुबारिक हुसैन व सुरेश खान दर्ज कर वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादीगण ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादीगण का सही नाम दुरूस्त कर देवे तो कुछ दिन तो आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब व रिपोर्ट पेश की जो की शामिल मिसल की गई। अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, नामान्तरण संख्या 309 रोही मौजा चक राजासर, शपथ पत्र आसिया पत्नी गफूर खा व सोनु पुत्र गफूर खा पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:25:53 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने बहस में अर्जीदावा की बातों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त वाद भूमि में वादीगण का नाम क्रमशः रूशतम पुत्र गफूरखां व

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रमजान पुत्र गफूरखा दर्ज है जबकि वादीगण के समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र में वादीगण का नाम क्रमशः मुबारिक हुसैन पुत्र गफूरखां व सुरेश खान पुत्र गफूरखां है। राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम गलत दर्ज होने से वादीगण के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है एवं वादीगण अपनी खातेदारी का सही उपयोग व उपभोग नही कर पा रहे है। अतः राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम मुताबिक दस्तावेजात मुबारिक हुसैन व सुरेश खान दर्ज कर वादी का वाद डिक्री फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता स0 13/13 की 3.6040 हैक्ट भूमि में से 3003/36040 हिस्सा भूमि रूशतम पुत्र गफूरखां व 3003/36040 हिस्सा भूमि रमजान पुत्र गफूरखा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण उक्त वाद भूमि में अपना नाम क्रमशः रूशतम पुत्र गफूरखां के स्थान पर मुबारिक हुसैन पुत्र गफूर खां व रमजान पुत्र गफूरखां के स्थान पर सुरेश खान पुत्र गफूर खां दर्ज करवाना चाहते है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत चित्रप्रति नामान्तरण के मुताबिक उक्त वाद भूमि वादीगण के नाम विरासतन दर्ज हुआ है। वादीगण के भाई व माता द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया है कि अगर वादीगण का नाम मुताबिक दस्तावेजात सही किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है व वादीगण के नाम दुरूस्ती बाबत समस्त जिम्मेदारी हमारी है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता स0 13/13 की 3.6040 हैक्ट भूमि में **वादी स0 1 का नाम रूशतम पुत्र गफूरखां के स्थान पर मुबारिक हुसैन पुत्र गफूरखां व वादी स0 2 रमजान पुत्र गफूरखां के स्थान पर सुरेश खान पुत्र गफूर खां के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है।** यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07/01/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:25:53 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या — 34 / 2024

अनवान : —

1. मुबारिक हुसैन पुत्र गफूरखां जाति कायमखानी साकिन नोहर तहसील नोहर।
2. सुरेश खान पुत्र गफूरखां जाति कायमखानी साकिन नोहर तहसील नोहर।

—वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

— प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955 प्र0स0 34 वर्ष 2024 निर्णय दिनांक 07/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता स0 13/13 की 3.6040 हैक्ट भूमि में **वादी स0 1 का नाम रूशतम पुत्र गफूरखां के स्थान पर मुबारिक हुसैन पुत्र गफूरखां व वादी स0 2 रमजान पुत्र गफूरखां के स्थान पर सुरेश खान पुत्र गफूर खां के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है।** यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 07/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:25:53 IST
Reason: SelfAttested